

अनुसूची-दो ख  
{ नियम 11 (2)देखिये }

प्रारूप एल आर-2

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट और माप सुधारक के रूप में अनुजप्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु )

प्रति,

.....  
.....  
.....

---

आवेदनक द्वारा

भरा जाए

निरीक्षण अधिकारी

की टीप

---

(1)

(2)

(3)

---

- 1 संबंधित निर्माता का नाम एवं पूर्ण पता जिसने अनुजप्ति का नवीनीकरण चाहा गया है ।
- 2 सुधारक अनुजप्ति क्र.
- 3 स्वामी (स्वामियों) तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक ( निदेशकों) के नाम तथा पता (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित
- 4 वर्तमान दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुजप्ति का पंजीयन क्र. तथा दिनांक
- 5 वैट/विक्रय कर/सी एस टी/ व्यावसायिक कर आयकर का पंजीयन क्र. ।
- 6 (क) प्रदत्त अनुजप्ति के अनुसार सुधार किये गये बाट तथा माप के प्रकार ।
- 7 क्षेत्र, जहां संचालन किया जाना है।
- 8 क्या आपके पास उधार/परीक्षण बांटो का प्र्याप्त स्टाक है ?
- 9 मुद्रांकन के विवरण के साथ ब्यौरे दें ।

## आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम ) में प्रवृत्त विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/ हैं ।

मैं/हमने अनुसूचित अनुजप्ति शुल्क रु.....(रु.....).....उप कोषालय/बैंक में जमा कर दिया है तथा मूल चालान संलग्न है ।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी/मेरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है ।

स्थान:

.....

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं पदनाम